फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री गोपाल नागर निवासी हिन्दू छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, झांतला माता ट्रस्ट, पाण्डोली, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 83/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.11.2017	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री गोपाल नागर निवासी हिन्दू छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 03.10.2017 को लोक सूचना अधिकारी, झांतला माता ट्रस्ट, पाण्डोली, चित्तौड़गढ़ के यहां आवेदन प्रस्तुत करने पर, लोक सूचना अधिकारी, झांतला माता ट्रस्ट, पाण्डोली, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी, झांतला माता ट्रस्ट, पाण्डोली, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि लोक सूचना अधिकारी, झांतला माता ट्रस्ट, पाण्डोली, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। साथ ही अपीलार्थी ने उक्त अपील इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने पर धारा 6 (3) के तहत संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्रेषित करने का निवेदन किया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी, झांतला माता ट्रस्ट, पाण्डोली, चित्तौड़गढ़ के अपीलीय अधिकारी संबंधी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को अपने स्तर पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	